संदर्भ: आईआरडीएआई/ई&सी/ओआरडी/ओएनएस/81/05/2024
Ref: IRDAI/E&C/ORD/ONS/81/05/2024

मेसर्स फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
Final Order in the matter of M/S Future Generali Life Insurance Company Ltd.,

निम्नलिखित के आधार पर / Based on the:

1.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") द्वारा 20 से 24 जुलाई, 2020 तक संचालित निरीक्षण के संबंध में कारण बताओ नोटिस ("एससीएन") संदर्भ सं. आईआरडीए/प्रवर्तन/2021/573/एससीएन दिनांक 22 फरवरी, 2024.
Show Cause Notice ("SCN") reference No. IRDA/Enforcement/2021/573/SCN dated 22nd February, 2024 in connection with the inspection conducted by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("the Authority") from 20th to 24th July, 2020.

1.2 उपर्युक्त एससीएन के लिए मेसर्स फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ("बीमाकर्ता") का उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2024.
Response of M/S Future Generali Life Insurance Company Ltd., ("the "Insurer") dated 15th March, 2024 to the aforesaid SCN.

1.3 प्राधिकरण के दो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल – श्री थॉमस देवसिया (सदस्य गैर-जीवन) और श्री बी. सी. पटनायक (सदस्य जीवन) द्वारा 15 मई, 2024 को प्रात: 10.30 बजे आनलाइन आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।
The submissions made by the Insurer during the personal hearing held online on 15th May, 2024 at 10:30 AM, by the panel of two Whole Time Members of the Authority - Shri Thomas Devasia (Member Non-Life) and Shri B C Patnaik (Member Life).

2. पृष्ठभूमि / Background:

2.1 प्राधिकरण ने 20 से 24 जुलाई, 2020 तक मेसर्स फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. का निरीक्षण संचालित किया था। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा अधिनियम, 1938, उसके अधीन बनाये गये विनियमों और दिशानिर्देशों के उपबंधों के कुछ उल्लंघन विदित हुए।
The Authority had conducted an inspection of M/S Future Generali Life Insurance Company Ltd., from 20th to 24th July, 2020. The inspection report, inter alia, revealed certain violations of provisions of the Insurance Act, 1938, Regulations and Guidelines issued thereunder.

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000 Website: www.irdai.gov.in

2.2 निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति बीमाकर्ता को उनके उत्तर की अपेक्षा करते हुए अग्रेषित किया गया था तथा उनका उत्तर 24 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त किया गया था। बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद कारण बताओ नोटिस (एससीएन) 22 फरवरी, 2024 को जारी किया गया। बीमाकर्ता ने उक्त एससीएन का उत्तर पत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा दिया। बीमाकर्ता के द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार वैयक्तिक सुनवाई का अवसर उन्हें 15 मई, 2024 को प्रदान किया गया।

A copy of the inspection report was forwarded to the insurer seeking their response and the response was received on 24th October, 2020. On examining the submissions made by the insurer, a show cause notice (SCN) was issued on 22nd February, 2024. The Insurer replied to the SCN vide letter dated 15th March, 2024. As requested for by the insurer, personal hearing was granted to them on 15th May, 2024.

2.3 बीमाकर्ता की ओर से श्री आलोक रूंगटा, प्रबंध निदेशक-व-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री नीलेश परमार, मुख्य परिचालन अधिकारी, श्री आशीष ओवलेकर, अंतरिम अनुपालन अधिकारी तथा प्राधिकरण की ओर से श्री थॉमस देवसिया (सदस्य गैर-जीवन) और श्री बी. सी. पटनायक (सदस्य जीवन), श्री आर. के. शर्मा (मुख्य महाप्रबंधक), श्री टी. वेंकटेश्वर राव (महाप्रबंधक), श्री संजय कुमार वर्मा (महाप्रबंधक) और श्री विश्वनाथ वी (प्रबंधक) उक्त सुनवाई में उपस्थित थे।

On behalf of the insurer, Shri Alok Rungta, Managing Director & Chief Executive Officer; Shri Nilesh Parmar, Chief Operating Officer; Shri Ashish Ovalekar, Interim Compliance Officer and on behalf of the Authority, Shri Thomas Devasia (Member Non-Life) and Shri B C Patnaik (Member Life), Shri R K Sharma (Chief General Manager), Shri T Venkateswara Rao (General Manager), Shri Sanjay Kumar Verma (General Manager) and Shri Viswanath V (Manager) attended the hearing.

2.4 बीमाकर्ता के द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 के अनुसार किये गये लिखित प्रस्तुतीकरणों तथा 15 मई, 2024 को वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये बीमाकर्ता के प्रस्तुतीकरणों पर प्राधिकरण के द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है।

The written submissions made by the insurer vide its letter dated 15th March, 2024 and submissions during the personal hearing on 15th May, 2024 of the insurer have been carefully considered by the Authority.

3. आरोप सं. / Charge No. 1:

3.1 यह पाया गया है कि बीमाकर्ता ने 246 मामलों में पैन कार्ड/फार्म 60/61 प्राप्त किये बिना रु. 50,000/- से अधिक के लिए बीमा प्रीमियम नकद स्वीकार किया है। इस प्रकार, बीमाकर्ता ने पालिसीधारकों के द्वारा नवीकरण प्रीमियम के भुगतान के लिए पैन विवरण के प्रकटीकरण से बचने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास को रोकने के लिए कोई उचित व्यवस्था निर्धारित नहीं की थी।

It has been observed that the Insurer has accepted the insurance premium in cash for more than Rs. 50,000/- without obtaining PAN card/Form 60/61 in 246 cases. Thus, the Insurer had not laid down any proper mechanisms to check any kind of attempts to avoid disclosure of PAN details for the payment of the renewal Premium by the policyholders.

3.2 बीमाकर्ता ने पैन/फार्म 60/61 प्राप्त किये बिना रु. 50,000/- से अधिक नकद नवीकरण प्रीमियम वसूल किया था। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने पहले उन पालिसीधारकों के लिए पैन भी प्राप्त नहीं किया था और बीमाकर्ता के द्वारा पालिसी प्रशासन प्रणाली में इसके लिए कोई विवरण अनुरक्षित नहीं किया गया था।

The insurer had collected renewal premium in cash beyond Rs. 50,000/- without obtaining the PAN/Form 60/61. Further, the insurer had also not collected the PAN for those policyholders previously and details of the same were not maintained by the insurer in the Policy Administration System.

4. बीमाकर्ता के प्रस्तुतीकरणों का सारांश / Summary of Insurer's submissions:

4.1 कंपनी ने नये व्यवसाय, नवीकरण और पालिसी सर्विसिंग स्तरों पर पालिसीधारकों से पैन/ फार्म 60/61 प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये हैं। की गई कार्रवाई के विवरण में रिपोर्ट में पाये गये सभी मामलों में पैन/फार्म 60/61 की प्राप्ति, पालिसीधारकों के लिए पैन/फार्म 60/61 प्राप्त करने के संबंध में नियंत्रण जाँच, पालिसी सर्विसिंग के समय लाभ के भुगतान पर इस कार्रवाई की पुष्टि शामिल है।

The company has taken number of measures to ensure PAN/Form 60/61 is collected from policyholders at new business, renewal and policy servicing stages. The details on action taken include confirmation of collection of PAN/Form 60/61, in all the cases observed in the report, control checks on collection of PAN/Form 60/61 at the time of benefit payment, policy servicing to the policy holders.

4.2 उन्होंने आगे प्रस्तुतीकरण किया कि उन्होंने पालिसीधारकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये पैन के वैधीकरण तथा पैन के प्रस्तुतीकरण हेतु पालिसीधारकों को सूचना देने के लिए आवश्यक वृद्धियाँ की हैं।

They further submitted that they have made necessary enhancements for validation of PAN submitted by the policyholders and communication to the policy holders for submission of PAN.

5. आरोप सं. 1 पर निर्णय / Decision on Charge No. 1:

बीमाकर्ता को धनशोधन निवारण का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ लागू न करने के लिए चेतावनी दी जाती है तथा धनशोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) संबंधी वर्तमान नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित

करने के लिए निदेश दिया जाता है। बीमाकर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि अनुपालन में किसी भी विफलता को भविष्य में गंभीर दृष्टि से देखा जाएगा।

The insurer is warned for not having systems in place for ensuring Anti Money Laundering compliance and is directed to ensure compliance with the extant rules, regulations and guidelines on Anti Money Laundering / Counter Financing of Terrorism(AML/CFT). The insurer is also advised that any failure in compliance in future will be viewed seriously.

6. निर्णय का सारांश / Summary of Decision:

आरोप सं. Charge No.	उल्लंघन का संबंधित उपबंध Violation of Provision	निर्णय Decision
1	धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) संबंधी मास्टर परिपत्र दिनांक 28 सितंबर, 2015 का खंड 3.1.13.ii (क) Clause 3.1.13.ii (a) of the Master Circular on Anti Money Laundering / Counter Financing of Terrorism(AML/CFT) dated 28th September, 2015	चेतावनी और निदेश Warning and Direction

7. इसके अलावा, यह आदेश बीमाकर्ता की जोखिम प्रबंध समिति तथा बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बीमाकर्ता विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। बीमाकर्ता दिये गये निदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस आदेश की तारीख से 45 दिन के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

Further, the Order shall be placed before upcoming meeting of Risk Management Committee and also the Board of the Insurer. The Insurer shall provide a copy of the minutes of the discussion. The Insurer shall submit an Action Taken Report to the Authority on direction given within 45 days from the date of this Order.

8. यदि बीमाकर्ता इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If the insurer feels aggrieved by this Order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal as per the provisions of Section 110 of the Insurance Act, 1938.

(थॉमस देवसिया / Thomas Devasia)
सदस्य (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)

(बी.सी. पटनायक / B C Patnaik)
सदस्य (जीवन) / Member (Life)

स्थान और दिनांक: हैदराबाद, 22 मई, 2024
Place and date: Hyderabad, 22nd May, 2024